

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-116वि0, दिनांक 12.02.2020 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) लागू किया गया है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प-एफ संख्या-5(2)-बी.(पी.डी)/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि02-51/99-_____/वि0, पटना,दिनांक
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

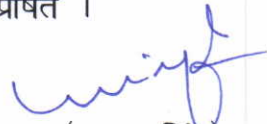
ज्ञापांक-वि02-51/99-_____/वि0, पटना,दिनांक
प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय,पंत भवन, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी(प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि02-51/99-_____/वि0, पटना,दिनांक
प्रतिलिपि : महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ ~~सचिव~~, बिहार विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि02-51/99- 285 /वि0, पटना,दिनांक -08/05/2020
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट/ सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।
05.04.2020